–:: नीलामी सूचना ::–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गाजियाबाद क्षेत्र के विभिन्न बस स्टेशनों व डिपो पर रिक्त/समाप्त होने वाले सफाई ठेकों की नीलामी टेण्डर प्रणाली द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, **1 ए कौशाम्बी गाजियाबाद** में **दिनांक 17.01.2019** को **14.00** बजे तक प्राप्त निविदाओं को निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

1.	**टेण्डर क्रय करने का स्थान**	क्षे0प्र0 कार्यालय, कौशाम्बी गा0बाद दि0 01–01–2019 से 17–01–2019
2.	**टेण्डर भरकर जमा करने की तिथि व स्थान**	दि0 17–01–2019 को समय 14 बजे तक। कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0परिवहन निगम 1 ए कौशाम्बी गाजियाबाद।
3.	**टेण्डर खुलने की तिथि व समय**	**दिनॉक 17–01–2019 अपरान्ह में 15.00 बजे**
4	**ठेके की अवधि**	दो वर्ष हेतु ।

क्र0स0	डिपो/बस स्टेशन का नाम	स्थान वर्ग मीटर में	सफाई स्थल
1	सिकन्द्राबाद	5700.00 वर्गमीटर कार्यशाला	डिपो की कार्यशाला, कार्यालय, शौचालय आदि की सफाई–धुलाई व अन्य कार्य
2	लोनी	11387.00 वर्गमीटर (कार्यशाला+आफिस)	कार्यशाला+आफिस
3	लोनी	8500.00 वर्गमीटर, बसस्टेशन	बस स्टेशन की सफाई व शौचालय की सफाई,
		शौचालय का रख–रखाव (पे.एण्ड यूज के आधार पर) कराना होगा।	यूरिनल फ्री, व प्रतिशीट धनराशि परिवहन निगम को मासिक देनी होगी।
4	मोदीनगर बस स्टेशन सी श्रेणी	1502 .00 वर्गमीटर	बस स्टेशन की सफाई, समस्त कार्यालय की सफाई–धुलाई व अन्य कार्य
	मोदीनगर बस स्टेशन पर स्थित शौचालय संचालन	04 शीट (2 लेडिज+2 जेन्ट्स) यूरिनल अतिरिक्त शौचालय का रख–रखाव (पे.एण्ड यूज के आधार पर) करना होगा।	यूरिनल फ्री, व प्रतिशीट धनराशि परिवहन निगम को मासिक देनी होगी।

नियम/शर्तें:–

1–प्रत्येक सफाई ठेकेदार को कार्यशाला व बस स्टेशन की शत–प्रतिशत सफाई धुलाई करनी अनिवार्य होगी।

2–ठेकेदार को सफाई–धुलाई से संबंधित सामान की व्यवस्था स्वंय करनी होगी, जैसे पाईप, चूना, झाडू, फिनाईल,साबुन, तेजाब,फ्रेशनर आदि।

3–जमानत धनराशि–5000/–(रू0 पॉच हजार) का बैंक ड्राफ्ट निविदा फार्म के साथ जमा करनी अनिवार्य होगी, जो ठेका समाप्ति पर रिफन्डेबल होगी।

4–निरीक्षण के समय कार्यशाला/डिपो पर कोई गंदगी पायी जाती है तो ठेकेदार से रू0 500/–प्रतिदिन की दर से मासिक बिलों से वसूली की जायेगी, अन्य नियम व शर्ते कार्यालय में देखे जा सकते है।

5–मासिक बिल संबंधित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को प्राप्त करायेगें। जिनके प्रतिहस्ताक्षिरत व सत्यापित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।

6–अनुभवी सफाई ठेकेदार को ही वरीयता प्रदान की जायेगी। जिसके साथ अनुभव प्रमाण पत्र जिस विभाग/परिवहन निगम में कार्य किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7–निविदादाता को टेण्डर फार्म/प्रार्थना पत्र रू0 200/–+जी0एस0टी0 जमा कर उसमें निम्न विवरण अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान व चाल–चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर तथा अपनी पासपोर्ट साईज फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। एक टेण्डरफार्म एक ही डिपो के लिए मान्य होगी। आधार कार्ड, पैनकार्ड, मूलनिवास प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र टेण्डर फार्म के साथ सलंग्न करने होगें।

8–अपूर्ण निविदा पत्र को विचार योग्य नही माना जायेगा।

09–टेण्डर फार्म के साथ रू0 5000/– का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा, बिना प्रतिभूति राशि के निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

10–सफाई ठेकेदार को कार्यरत कर्मचारियों के नाम व पते की सूची संबधित डिपो में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

tender cleaning depot

Downloaded from www.upsrtc.com

11– जिस डिपो/बस स्टेशन/कार्यशाला के लिऐ निविदा/प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है उस डिपो/बस स्टेशन का नाम लिफाफे पर अंकित करना होगा, व अपना नाम व पूर्ण पता लिखना अनिवार्य होगा ।

12–कार्य समाप्ति हेतु दो माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी, व अन्य देयक जब्त भी किये जा सकते है।

15–निविदा दाता सफाई ठेके लेने से पूर्व ईकाई/स्थान को अवलोकित कर सकते है।

16–साप्ताहिक रूप से बस स्टेशन/कार्यशाला परिसर में चूना इत्यादि छिड़काना अनिवार्य होगा।राष्ट्रीय पर्व पर डिपो प्रबंधक के अनुसार अतिरिक्त सफाई करनी होगी, जिसका अलग से भुगतान नही किया जायेगा।

17–सफाई ठेकेदार को संबंधित डिपो के बस स्टेशन/कार्यालय की सफाई हेतु कभी बुलाया जा सकता है।

18–पैनकार्ड की सत्यापित छायाप्रति,केन्सिल चैक, तथा बैंक विवरण आदि प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

19–कार्यशाला की सफाई, की दरें निगम मुख्यालय दर निर्धारित है।

20– परिवहन निगम द्वारा ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार निविदा में भाग नही ले सकते। कार्यालय की जानकारी में आने के उपरान्त प्रतिभूति राशि जब्त करते हुऐं ठेका समाप्त कर दिया जायेगा।

21–व्यक्ति (**Individual**) की दशा में टेण्डर/बोलीदाता यदि स्वच्छकार है तो उसे वरीयता दी जायेगी।

22–कार्य सन्तोषजनक होने पर अनुबंध का विस्तार किया जा सकता है।

22–किसी भी प्रकार का वाद विवाद होने पर विवाद निपटारा जनपद गाजियाबाद के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निहित होगा।

23–शौचालय संचालक बस स्टेशन में स्थित शौचालय के प्रयोग करने की एवज में यात्रियों से रू0 5/–वसूल करेगा, जिसमें यूरिनल फ्री रहेगा। जिसकी मासिक धनराशि निगम कोष में जमा करानी होगी।

किसी भी टेण्डर/नीलामी को अस्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
कौशाम्बी, गाजियाबाद।

पत्रांकः– 64 **/क्षे0प्र0/गा0बाद/सामान्य/ठेका–नीलामी/2018 दिनांकः–** ~~20.12.2018~~ 01-01-2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः– ईमेल के माध्यम से

1– प्रधान प्रबन्धक (विविध/एम0आई0एस0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ,।

2– नाजिर सदर, कार्यालय जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु सादर सूचनार्थ।

3– सहायक प्रबंधक(एम0आई0एस0) परिवहन निगम लखनऊ को विज्ञप्ति बेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

4– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम,आगरा/अलीगढ़/सहारनपुर/मेरठ/मुरादाबाद/नोएडा/बरेली/कानपुर/लखनऊ/हरदोई/आजमगढ़/देवीपाटन/बनारस/फैजाबाद/झांसी/गोरखपुर/ इलाहाबाद/इटावा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु। ईमेल के माध्यम से।

5– सेवा प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/केन्द्र प्रभारी उ0प्र0परिवहन निगम, खुरजा/बु0शहर/सि0बाद/हापुड़/लोनी/साहिबाबाद/कौशाम्बी डिपो/गाजियाबाद/आनन्द विहार दिल्ली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर दो कार्मिक के समक्ष चस्पा करेगें एवं कार्यालय को अवगत कराये गये कि उक्त विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर दो कार्मिकों के समक्ष चस्पा किया गया है कि सूचना कार्यालय को प्राप्त करायेगें, एवं अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखेंगें।

6– नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/डिपो/बस स्टेशन।

07– tender@upsrtc.com

08- infomostep@gmail.com,anandshrma69@gmail.com.

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद।

tender cleaning depot

Downloaded from www.upsrtc.com